राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3260 / 2025

नरेन्द्र कुमार पलसानिया

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 30.06.2025 के आलौच्य आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नाडी, ब्यावर से बदलकर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, हुरिया खुर्द, कोटपूतली–बहरोड़, लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थान पर कर दिया, जबकि निकटवर्ती एमजीजीएस स्कूल में लेवल–1 के पद रिक्त हैं। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 4371 पर अंकित है (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी ने जिन विद्यालयों के विकल्प दिए थे, उन विद्यालयों में अपीलार्थी का पदस्थापन नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को दिए गए विकल्पों और आस–पास के स्थान पर रिक्त पद पर ही पदस्थापन किया जावे।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार

अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतरामजी भाले)
अध्यक्ष